मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २९ सन् २०१७

मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७८ को निरसित करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, २०१७ है.

२. यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

२. (१) मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७८ (क्रमांक ३२ सन् १९७८) निरसित हो जाएगा.

(२) निरसन से—

(क) किसी अन्य अधिनियमिति जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई हो, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई हो; अथवा

(ख) किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व जो निरसित अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो; अथवा

(ग) निरसित अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात के परिणामों; अथवा

(घ) निरसित अधिनियमिति के विरुद्ध कारित किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण अथवा दण्ड,

पर प्रभाव नहीं पड़ेगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बीमार औद्योगिक ईकाइयों को सहायता उपक्रम घोषित करते हुए राहत एवं अन्य उपाय उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७८ (क्रमांक ३२ सन् १९७८) अधिनियमित किया गया था. विगत वर्षों में यह अधिनियम अपना महत्व खो चुका है क्योंकि केन्द्रीय अधिनियम यथा, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, २०१६ (२०१६ का ३१) और कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) अधिनियमित हुए हैं और केन्द्र सरकार द्वारा बीमार औद्योगिक उपक्रमों के पुन: प्रवर्तन की समस्या को दूर करने हेतु नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल गठित किया गया है. हाल ही में हुई इस प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए मूल अधिनियम अनावश्यक हो गया है अत: उसको निरसित करना आवश्यक है.

२. निरसन विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु लक्षित है.

३. अत: यह विधेयक.

भोपाल :
तारीख २८ नवम्बर, २०१७.

राजेन्द्र शुक्ल
भारसाधक सदस्य.